हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 08/2024 बअनवान धाररिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 23.10.2024

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर वहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी के स्वयं के नाम खसरा संख्या 4745 वादी एवं उसके परिवार को अलोटमेंट हुआ तथा उसके पास ही खसरा संख्या 4746 में रकबा 6.15 बीघा आराजी भूमि पर एवं खसरा संख्या 4748 में रकबा 50 बीघा खसरा संख्या 4747 रकबा 60 बीघा भूमि पर वादी एवं उसका परिवार पिछले कई सालों से कब्जा काश्त करते आ रहे है तब से वादी के पिताजी व इनके परिवार का ही कब्जा काश्त है आज दिनांक तक लगातर 50 सालों से कब्जा काश्त वादी के परिवार का ही है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रदोबदल करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है यदि रेस्पोडेंटस अपने उदेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलांटगण के दावे उदेश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कोई हक नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो स्थगन आदेश साथ में पारित नहीं करे। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते है। मूल वाद के विचारण में रहते राजकीय भूमि पर स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया प्रथम दृष्टया पाया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर